रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 1987/ भाद्र 4, 1909

No. 435] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 1987/BHADRA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त 1987

आदेश

का.आ. 798 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 (1987 का 10) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, जैसी कि नीचे सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट की गई है, सभी वस्तुओं के संबंध में, उनका उत्पादन जहां भी होता हो, जिनके लिए जूट पैकेज सामग्री का प्रयोग करना अपेक्षित है, जूट आयुक्त द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी, और जूट आयुक्त के अधीक्षण, तथा उसके द्वारा जारी किए गए निदेश, यदि कोई है, के अधीन रहते हुए, उक्त शक्तियां

उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी वस्तु के संबंध में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी/प्राधिकारी का पदनाम	वस्तु और अधिकारिता	प्रत्यायोजित शक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य विभाग, भारत सरकार	समस्त देश में अवस्थित सभी चीनी विनिर्माण करने वाली यूनिटों पर	*धारा 6, 7 और 8
2.	सीमेंट उद्योग विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	समस्त देश में अवस्थित सभी सीमेंट विनिर्माण करने वाली यूनिटों पर	*धारा 6, 7 और 8
3.	कार्यकारी निदेशक, उर्वरक समन्वय समिति कार्यालय, उर्वरक विभाग के अधीन	समस्त देश में अवस्थित सभी उर्वरक विनिर्माण करने वाली यूनिट पर	*धारा 6, 7, और 8

*धारा 6—जानकारी और नमूने मांगने की शक्ति।

*धारा 7—प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति।

*धारा 8—तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति।

[फा. सं. 9/21/87-जूट]

हस्ता./-

जे.के. बाग्ची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 26th August, 1987

ORDER

S.O. 798(E) :—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act 1987 (10 of 1987) the Central Government here by directs that the powers exercisable by it under the provisions of the said Act as specified in Column (4) of the Table below shall be exercisable also by the Jute Commissioner in respect of all the commodities, wherever they are produced for which jute packaging material

is required to be used and subject to the supervision and direction if any issued by the Jute Commissioner, the said powers shall also be exercisable by the officer or authority as specified in column (2) of the said Table in respect of corresponding commodity as specified column (3) of the aforesaid Table.

TABLE

S. No.	Designation of the Officer/ Authority	Commodity and Jurisdiction	Powers delegated
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Director (Sugar) Deptt. of Food Govt. of India.	Over all sugar manufacturing units located all over the country.	*Sections 6, 7 and 8
2.	Development Commissioner for Cement Industry, Deptt. of Industrial Development, Ministry of Industry, Govt. of India.	Over all cement manufacturing units located all over the country.	*Sections 6, 7 and 8.
3.	Executive Director, Office of Fertiliser Industries Co-ordination Committee, under the Deptt. of Fertilizers.	Over all fertiliser manufacturing units located all over the country.	*Section 6, 7 and 8.

*Section 6—Power to call for information and samples.

*Section 7—Power to enter and inspect.

*Section 8—Power to search and seize.

[File No. 9/21/87 Jute]

Sd/
J.K. BAGCHI, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987